संचिका सं0—10/रेफ0—06—01/2018— 03(10)प

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

अवर सचिव—सह—
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक— 20-5-2019

विषयः— वित्तीय वर्ष 2019—20 में सिवान जिलान्तर्गत दरौली प्रखंड स्थित रेफरल अस्पताल, दोन के जर्जर अर्द्धनिर्मित भवन को जीर्णोद्धार करते हुए नये भवन चाहरदीवारी सहित निर्माण हेतु कुल रुपये 6,44,95,000/—(छः करोड़ चौवालिस लाख पन्चानवे हजार रुपये) मात्र व्यय निमित आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के पत्रांक—904, दिनांक—31.05.2018 के जाँचोपरान्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रखंड कार्यालय से लगभग आठ किलोमीटर की दूरी पर आवश्यक भूमि (2 एकड़) की उपलब्धता की स्थिति को देखते हुए सिवान जिलान्तर्गत दरौली प्रखंड के दोन स्थित रेफरल अस्पताल के जर्जर अर्द्धनिर्मित भवन का जीर्णोद्धार करते हुए नये भवन का निर्माण किया जाना है।

उक्त के आलोक में समाहर्त्ता, सिवान के कार्यालय पत्रांक—104 मु०, दिनांक—22.06.2018 के द्वारा प्रखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के परिसर में मात्र 5 कठ्ठा 13 धूर जमीन उपलब्ध करायी गयी है जो प्रावधानिक मानक से काफी कम है। अतएव विभागीय स्थायी वित्त समिति के बैठक में दरौली प्रखंड के दोन ग्राम में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के समतुल्य प्रस्तावित तीस बेड के रेफरल अस्पताल, दोन के अर्द्धनिर्मित भवन के जीर्णोद्धार एवं नये भवन निर्माण से संबंधित महाप्रबंधक (परि० एवं निरू०), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के पत्रांक—1834, दिनांक—24.07.2018 के द्वारा कुल रुपये 6,44,95,000/—(छः करोड़ चौवालिस लाख पन्चानवे हजार रुपये) का तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर स्वास्थ्य **विभागीय राज्यादेश संख्या—1136(10), दिनांक—20.02.2019** द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी थी एवं तद्क्रम में विभागीय आवंटनादेश संख्या—41(10)ब, दिनांक—07.03.2019 से व्यय निमित आवंटन भी गयी थी, परन्तु तकनीकी कारण से कोषागार से राशि की निकासी नहीं की जा सकी।

अतएव **विभागीय आवंटनादेश संख्या—41(10)ब, दिनांक—07.03.2019 को निरस्त करते हुए** पूर्व स्वीकृत दरौली प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में इसे उत्क्रमित कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के समतुल्य नये भवन का निर्माण प्रखंड कार्यालय से आठ किलोमीटर दूर दोन ग्राम में अवस्थित अर्द्धनिर्मित भवन के जीर्णोद्धार करते हुए नये भवन का निर्माण एवं परिसर विकास हेतु बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये कुल तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन 6,44,95,000/—(छः करोड़ चौवालिस लाख पन्चानवे हजार रुपये) मात्र व्यय निमित आवंटन वित्तीय वर्ष 2019—20 में दी जाती है।

(2) उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना (BMSIC) के द्वारा कराया जायेगा। कार्य कराते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायगाः—

(i) बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के द्वारा कार्य प्रारंभ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि इसके भवन निर्माण हेतु आवश्यक 2 एकड़ भूमि उपलब्ध है।

(ii) निगम द्वारा निविदा की शर्त्तों में सुयोग्य एवं अनुभवी एजेंसी का चयन में सुस्पष्ट प्रक्रिया का उल्लेख करेंगे।

(iii) कार्यादेश निर्गत करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि संबंधित कार्य किसी अन्य योजना से नही कराया जा रहा हो या पूर्व में नहीं कराया गया हो।

(iv) निगम द्वारा यह कार्य बिहार वित्त नियमावली 2005, पी०डब्ल्यू०डी० कोड एवं अन्य सरकारी अनुदेशों तथा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के मुताबिक ही कार्य कराया जायेगा।

(v) राशि का व्यय कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार समय–समय पर की जायेगी।

(vi) कार्य का सघन पर्यवेक्षण निगम द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी/एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा। कार्य निर्धारित अवधि में वांछित गुणवत्ता के साथ संपन्न सम्पन्न कराने की पूर्ण जवाबदेही बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना की होगी।

(vii) योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण अगर प्राक्कलित राशि की पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के संबंधित पदाधिकारी जिम्मेवार माने जायेंगे।

(viii) निगम के संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा, जबतक कि कार्य पूर्ण नहीं हो जाय।

(3) इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग सं0–20 के अंतर्गत राज्य योजना बजट मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष–02–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ, लघु शीर्ष–103–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपशीर्ष– 0101–रेफरल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण एवं जीर्णोद्धार, विपत्र कोड–20-4210021030101, विषय शीर्ष–(53 01) मुख्य निर्माण कार्य अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(4) इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे । निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित विभाग के अद्यतन परिपत्र के आलोक में राशि की निकासी बी0टी0सी0 फार्म संख्या–46 में कर खाता अंतरण के माध्यम से निगम के पी0एल0 खाता संख्या–244 एवं विपत्र कोड–K8448001110002 में सुलभ करायेंगे।

(5) बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना इस राशि का धन ऋण विवरणी (Plus-Minus Memoranda) माहवार तथा एतद्संबंधी डी0सी0 विपत्र छः माह के अन्दर विभाग से अग्रसारित कराते हुए महालेखाकार, बिहार को सुलभ करायेंगे ।

(6) यह आवंटनादेश वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–2561 वि0(2), दिनांक–17.04.98, 8543 वि0(2), दिनांक–27.11.2007, 96/वि0(2), दिनांक–03.01.2008, 3923/वि0(2), दिनांक–09.04.2010 एवं अद्यतन परिपत्रों के आलोक में की जायेगी ।

(7) प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

(8) राशि की निकासी नया सचिवालय, विकास भवन, कोषागार, पटना से की जायेगी।

(9) संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

03 (10) प

20-5-2019

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक– 03 (10) 79 /स्वा0, पटना, दिनांक– 20-5-2019

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, सारण प्रमंडल, छपरा/जिला पदाधिकारी, सिवान/सिविल सर्जन, सिवान/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दरौली (सिवान)/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–10/प्रशाखा के अन्य सभी सहायक/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव ।